(97)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (राजस्व) ग्वालियर

रा. पुन. क्र. /2013 R. 2209 - I/13

1. प्रदीप कुमार उम्र 52 वर्ष पिता स्व० नारायण जाति कलार,
निवासी ग्राम हिर्री प. ह. नं. 18/62 रा. नि. मं. किरनापुर,
तहसील किरनापुर जिला बालाघाट .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. राजस्व निरीक्षक, रा. नि. मं. किरनापुर तहसील किरनापुर,
जिला बालाघाट
2. भैतरीन बाई पति देवराम जाति लोधी, निवासी हिर्री,
प. ह. नं. 18/62, रा. नि. मं. किरनापुर, तहसील किरनापुर,
जिला बालाघाट .... अनावेदकगण

// पुनरीक्षण //

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता ।

श्री बी. आर. विश्वकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
14 MAY 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

श्रीमान तहसीलदार किरनापुर के ज्ञापन क्र. 234/बा. तह./2013 दिनांक 5. 2. 2013 के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 27. 2. 2013 को किये गये सीमांकन के आधार पर श्रीमान तहसीलदार महोदय किरनापुर को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 6. 3. 2013 के विरुद्ध पुनरीक्षण ।

(239)

प्रकरण के तथ्य :- संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता के संयुक्त कब्जे व मालकी की ग्राम हिर्री प. ह. नं. 18/62 रा. नि. मं. किरनापुर में खसरा नं. 566/2 रकबा 1.153 हेक्टर एवं खसरा नं. 566/5

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 2209–एक/2013 जिला–बालाघाट

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री बी0 आर0 विजयवार उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक किरनापुर जिला बालाघाट के प्रकरण कमांक 234/बा. तह. /2013 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी किरनापुर जिला बालाघाट के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी किरनापुर जिला बालाघाट**	